अध्याय 6: स्मारकों तथा पुरावशेषों की पहचान एवं अधिसूचना

भारत के संपन्न विरासत संग्रह में अधिकतर केन्द्र एवं राज्य स्तर के प्राधिकरणों, संग्रहालयों, धार्मिक निकायों आदि के अधीन अनुमानित 4 लाख से अधिक संरचनाएं एवं 58 लाख से अधिक पुरावशेष[35] शामिल हैं। इन स्मारकों/पुरावशेषों की पहचान एवं प्रलेखन प्रक्रिया तथा इनकी अधिसूचना से संबंधित मुद्दों पर इस अध्याय में चर्चा की गई है।

6.1 सभी स्मारकों एवं पुरावशेषों का राष्ट्रीय डेटाबेस

सभी स्मारकों एवं पुरावशेषों के राष्ट्रीय डेटाबेस को तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावशेष मिशन (एनएमएमए) को प्रारंम्भिक रूप से पांच वर्षों अर्थात 2007-2012 की अवधि हेतु सरकार[36] (2007) द्वारा शुभारंभ किया गया। प्रलेखन प्रक्रिया को पूरा करने तथा गति को बनाए रखने के कारण इस अवधि को और पांच वर्षों (2012-2017) के लिए बढ़ा दिया गया था तथा बाद में एनएमएमए को एएसआई के साथ विलय कर दिया गया (अक्टूबर 2017)। एनएमएमए की स्थापना में देरी तथा नियोजन के अभाव के कारण इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफलता को पिछले प्रतिवेदन में इंगित किया गया था।

पीएसी ने मंत्रालय से कहा था कि संग्रहालय में रखी कलाकृतियों, संपूर्ण देश में फैले अन्य सरकारी एवं निजी स्वामित्व में और/अथवा सरकारी कोषागारों के सहित प्रत्येक प्राचीन स्मारक, स्थलों एवं अवशेषों जो कि दोनों राष्ट्रीय एवं राज्य महत्व के विवरण को उजागर करते हुए एक राष्ट्रीय पंजी को तैयार किया जाए। 2007 में एनएमएमए द्वारा प्रारंम्भ किए गए प्रलेखन एवं डेटाबेस कार्य की प्रगति एवं चालू स्थिति को **तालिका 6.1** में वर्णित किया गया है:

तालिका 6.1 स्मारकों एवं पुरावशेषों के प्रलेखन में प्रगति

अवधि	प्रलेखन		डाटा को अपलोड करना	
	स्मारक	पुरावशेष	स्मारक	पुरावशेष
2007-12	34794	48411	0	0
2012-17	1.84 लाख	15.0 लाख	9688	2.40 लाख

[35] स्त्रोत: एएसआई

[36] एनएमएमए का सृजन अगस्त 2003 में तत्कालिन प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया गया था।

2017-19*	3228	1.70 लाख	312	10.13 लाख
2019-20	6039	32537	859	8952
2020-21	3186	2400	703	1569
कुल	**2.31 लाख**	**17.53 लाख**	**11562**	**12.64 लाख**

*अवधि की गणना अक्टूबर तक/से की गई

नोटः 2019-20 तथा 2020-21 के लिए एनएमएमए द्वारा सूचित स्थिति (अक्टूबर 2020 तथा दिसम्बर 2021 में) अक्टूबर 2020 तक तथा नवम्बर 2020 से 1 दिसम्बर 2021 तक थी।

तालिका 6.1 में यह देखा जाएगा कि 2017 से स्मारकों एवं पुरावशेषों के प्रलेखन हेतु प्रक्रिया काफी धीमी हो गई। एनएमएमए ने अपने उत्तर में (अक्टूबर 2020) संभार-तंत्र की अपर्याप्तता, अप्रभावी निगरानी तथा बजट की कमी जैसे कारणों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कमियों को जिम्मेदार ठहराया। यह भी बताया कि चालू प्रलेखन प्रक्रिया/दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने, प्रलेखन संसाधन केन्द्र (डीआरसी) राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति (एसएलआईसी) की पहचान करना एवं इसे पुनः चालू करने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं को स्थानीय स्तर पर प्रारम्भ करने की आवश्यकता थी। तथापि लेखापरीक्षा ने अतिरिक्त कारणों को भी बताया कि संपूर्ण परियोजना असंतोषजनक ढंग से कार्यान्वित की गयी:

- 4 लाख स्मारकों एवं 58 लाख पुरावशेषों के प्रलेखन हेतु कोई भी परिभाषित कार्यनीति या दिशानिर्देश नहीं था। एनएमएमए के साथ प्रलेखन कार्य में कोई भी वार्षिक लक्ष्य या वार्षिक प्रगति उपलब्ध नहीं थी। दो बार प्रत्येक पांच वर्षों के लिए लगातार वृद्धि देने के बाद, कार्य को पूरा करने के लिए बिना किसी समय-सीमा के एनएमएमए, एएसआई में विलय कर दिया गया।

- परियोजना को तकनीकी क्षमता की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना प्रारम्भ किया गया। एनएमएमए ने शोध युक्त प्रलेखन कार्य को पूरा करने के लिए देश में वाणिज्यिक अभिकरण के अभाव को सूचित किया। एएसआई में उपलब्ध स्टाफ की संख्या भी कार्य को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी।

- मार्च 2015 से प्रलेखन कार्य को सुगम बनाने, गलतियों को सुधारने अथवा प्रक्रिया में शामिल अभिकरणों को स्पष्टीकरण देने के लिए कोई भी कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, कार्यकारी अभिकरणों की तकनीकी क्षमता का नियमित रूप से उन्नयन करने हेतु प्रणाली का अभाव था, जिसने कार्य प्रक्रिया को प्रभावित किया।.

➢ कार्य करने के लिए पहचान किए गए डीआरसी अपर्याप्त थे तथा वर्षों से निष्क्रिय हो गए। डीआरसी की पहचान के लिए तथा उनके कार्य के मूल्यांकन के लिए गठित एसएलआईसी भी कार्यात्मक नहीं थीं। परिणामस्वरूप, कार्य क्षमता को बढ़ाने तथा डीआरसी[37] द्वारा निधि के उपयोग पर नियंत्रण रखने के लिए प्रभावी तंत्र का अभाव था। इसके अतिरिक्त, एनएमएमए के कार्य की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय मिशन निगरानी समिति की बैठकें अगस्त 2016 के बाद आयोजित नहीं की गयी थी।

➢ 1.80 लाख स्मारकों के संबंध में, पूरा किया गया प्रलेखन कार्य द्वितीयक स्त्रोतों पर आधारित था तथा प्राथमिक सर्वेक्षण के माध्यम से सत्यापित नहीं किया गया। कार्य की संवीक्षा करने तथा निश्चित डाटा को हटाने के बाद, एनएमएमए ने निम्नवत कम हुई प्रगति स्थिति को सूचित किया (दिसम्बर 2021):

अवधि	प्रलेखन		डाटा को अपलोड करना	
	स्मारक	पुरावशेष	स्मारक	पुरावशेष
संशोधित प्रगति	1.84 लाख	16.83 लाख	11406	12.60 लाख

मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि बड़ी संख्या में पुरावशेष एवं स्थल, राज्यों, निजी संगठनों, ट्रस्टों एवं व्यक्तियों के अधीन थी तथा जब तक इन अभिकरणों ने एनएमएमए के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार किया तब तक कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। दो प्रस्तावों के विषय में भी सूचित किया गया (i) प्राथमिक सर्वेक्षण एवं पुरावशेषों के प्रलेखन को पूरा करने के लिए युवा पुरातत्वविद को शामिल करने संकल्पना की पहल करना तथा (ii) कार्य हेतु डीआरसी की सहभागिता हेतु रोलिंग विज्ञापन।

एनएमएमए परियोजना का सफल समापन देश में अधिकांश स्मारकों, स्थलों एवं पुरावशेषों की प्रामाणिक सूची में प्रस्तुत करेगा। स्मारकों के प्रतिरक्षण तथा पुरावशेषों के अवैध व्यापार की रोकथाम में शामिल अभिकरणों के बीच अधिक तालमेल

[37] 23,526 स्मारकों एवं 8.45 लाख पुरावशेषों के सौंपे गए प्रलेखनों के सापेक्ष में, डीआरसी ने केवल 5,444 स्मारकों एवं 2.98 लाख पुरावशेषों का प्रलेखन पूरा किया। ₹86.2 लाख के उपोयगिता प्रमाणपत्र को भी बकाया सूचित किया गया है (अक्टूबर 2020)।

उपलब्धि के लिए अधिक उपयोगी होगा। तथापि, उपरोक्त वर्णित कारणों, यहां तक कि एनएमएमए की स्थापना के 14 वर्षों के बाद भी केवल 46 *प्रतिशत* स्मारकों तथा पुरावशेषों का 29 *प्रतिशत* प्रलेखन कार्य ही पूरा किया गया।

6.2 एएसआई के पास स्मारकों एवं पुरावशेषों का डेटाबेस

देश में चार लाख से अधिक विरासत संरचनाओं में से 3693 स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एएसआई के क्षेत्राधिकार के अधीन हैं (दिसम्बर 2021)। *पीएसी ने दो वर्ष की अवधि के अन्दर ही सभी सीपीएम की सूची को तैयार करने की सिफारिश की जिसे प्रत्येक पांच वर्ष में अद्यतित किया जाना था। इस सूची में विभिन्न सूचनाओं अर्थात भौगोलिक स्थिति, श्रेणी, निकटतम शहर/कस्बे से दूरी, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व, अतिक्रमण विवरण आदि को दर्शाते हुए पोर्टल के माध्यम से जनता के लिए सुलभ बनाया जाना था।*

तथापि, यह पाया गया था कि जनता के लिए सिफारिश की गयी सभी सूचनाओं को दर्शाते हुए सभी सीपीएम का केन्द्रीकृत डेटाबेस/सूची अभी भी उपलब्ध नहीं थी (मार्च 2022)। आगे यह पाया गया कि संबंधित सर्किलों के वेबसाइटों द्वारा सीपीएम पर ऑनलाइन प्रदर्शित सूचना समरूप[38] भी नहीं थी। *जबकि कुछ सर्किल इतिहास, अधिसूचना संबंधित स्मारकों की अवस्थिति (उदाहरणार्थ: देहरादून, बेंगलुरू) को प्रदर्शित कर रहे थे, अन्य केवल संबंधित स्मारकों (उदाहरणार्थ: आगरा, भोपाल) की सूची प्रस्तुत कर रहे थे।* चण्डीगढ़ एवं बेगंलुरु सर्किल में महत्वपूर्ण सूचना अर्थात क्रमशः तीन[39] एवं दो[40] स्मारकों के संबंध में अधिसूचना विवरण उपलब्ध नहीं थे। इसी प्रकार से, भुवनेश्वर सर्किल में 80 स्मारकों/स्थलों में से केवल 38 राजपत्र अधिसूचना उपलब्ध थी। भुवनेश्वर सर्किल में ही अधिसूचित चार विशाल *मातृकास* (मूर्ति) के सापेक्ष में केवल तीन के ही सूची में दर्शाया गया था। स्मारकों, जहां अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गयी थी, उनको भी **अनुलग्नक-6.2(बी)** में सूचीबद्ध किया गया है।

एएसआई ने सूचित किया (दिसम्बर 2020) कि 3150 सीपीएम के लिए राजपत्र

---

[38] पैरा 4.1 का भी संदर्भ लें, कुछ सर्किलों में वेबसाइटें चालू नहीं थी।

[39] *बाओली* घोस *अली शाह*-गुरुग्राम, शाह इब्राहिम गुम्बद-नारनौल, शाह कुली खान की गुम्बद-नारनौल।

[40] चन्नाकेसव मंदिर, हसन, सोमेश्वर मंदिर, शिमोगा।

अधिसूचना के सम्बन्ध में डाटा संकलित किया गया था। मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि सभी राजपत्र अधिसूचनाएं भारतीय विरासत मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित करने का भाग होगीं।

यद्‌यपि, तथ्य यह रहता है कि सूची को अभी भी पूर्ण किया जाना था।

पुरावशेषों के संबंध में, यद्‌यपि एएसआई ने अखिल भारतीय स्तर पर 58 लाख से अधिक का अनुमान किया था फिर भी उनके पास उनके अधिकार में पुरावशेषों की संख्या का कोई डाटाबेस अथवा सूची नहीं थी।

6.2.1 स्मारकों का वर्गीकरण

एएमएएसआर (संशोधन एवं वैधीकरण) अधिनियम, 2010 के अनुसार, केन्द्र सरकार को एनएमए की सिफारिश पर निर्धारित आठ श्रेणियों[41] के अनुसार एएसआई के क्षेत्राधिकार के अधीन सभी स्मारकों एवं पुरातत्व स्थलों का वर्गीकरण करना था। यह वर्गीकरण एएसआई द्‌वारा एनएमए को प्रस्तुत सूचना के आधार पर किया जाना था, जिसे आम जनता के लिए सरकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना था। इस संबध में मंत्रालय ने पीएसी को सूचित किया कि स्मारकों का वर्गीकरण पूरा कर लिया गया था तथा एनएमए को उनके विचारणार्थ एवं मंत्रालय के सिफारिश करने हेतु सौंपा गया। तथापि, एनएमए ने सूचित किया (नवम्बर 2020) कि केवल 915 स्मारकों (3693 सीपीएम में से) की सूची अब तक तैयार की गई जो श्रेणी III के तहत स्मारकों को अंतिम रुप न देने के कारण अभी भी विचाराधीन थी।

[41] एएमएएसआर (संशोधन एवं वैधीकरण) अधिनियम के तहत निर्मित एनएमए नियमावली, 2011 के नियम 6 को देखिए।

श्रेणी I	विश्व विरासत स्थल
श्रेणी II	विश्व विरासत स्थल की सम्भावित सूची
श्रेणी III	विश्व विरासत सम्भावित सूची में शामिल हेतु चिन्हित
श्रेणी IV	टिकट वाले स्मारक (उपर्युक्त के अलावा)
श्रेणी V	टिकट वाले स्मारकों के रूप में वर्गीकरण हेतु चिन्हित
श्रेणी VI	जीवंत स्मारक जहां बड़ी संख्या में आगंतुक आते हैं
श्रेणी VII	शहरी/अर्ध शहरी सीमाओं एवं दूरस्थ गांवों में स्थित अन्य स्मारक
श्रेणी VIII	अन्य श्रेणी जैसाकि प्राधिकारी उचित समझें

पिछले प्रतिवेदन एवं पीएसी के प्रतिवेदन में इंगित किए जाने के बावजूद, सभी सीपीएम के वर्गीकरण के संबंध में एएसआई द्वारा अपर्याप्त प्रयास किए गए।

6.3 एएसआई के अधीन राष्ट्रीय महत्व के स्मारक

एएमएएसआर अधिनियम 1958 के अनुसार, एएचएमएएसआर अधिनियम 1951[42] के तहत घोषित प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक, पुरातत्व स्थल एवं अवशेष राष्ट्रीय महत्व के माने जाते हैं। एएमएएसआर अधिनियम भी निर्दिष्ट करता है कि केन्द्र सरकार के मामले में यह राय है कि कोई भी प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक या पुरातत्व स्थल एवं अवशेष का राष्ट्रीय महत्व नहीं रह गया, ऐसा अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाए, पिछले प्रतिवेदन में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की पहचान एवं घोषणा से संबंधित कई मुद्दों को सूचित किया गया था। इस संबंध में पीएसी ने भी कई सिफारिशें की। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान जांचे गए इन मुद्दों पर चर्चा निम्नवत हैः

6.3.1 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक को परिभाषित करने हेतु मानदंड

पिछले प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा ने राष्ट्रीय महत्व के होने वाले स्मारक को घोषित करने हेतु मानदंड को परिभाषित सेट के अभाव को दर्शाते हुए कई उदाहरणों को इंगित किया। *इस संबंध में पीएसी ने सिफारिश की कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के निर्धारण हेतु दिशा-निर्देशों को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप दिया जाए।* यह पाया गया कि इन दिशा-निर्देशों को अभी तक तैयार नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, निम्नवत उल्लिखित श्रेणियों में एएसआई ने राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को परिभाषित करने हेतु विभिन्न मानदंडों को स्वीकार कियाः

ए) एकल परिसर जहां एक से अधिक या स्वतंत्र संरचना पृथक स्मारक के रूप में अधिसूचित की गयी जबकि अन्य उदाहरणों में एक परिसर के अंदर सभी संरचनाएं एकल स्मारक के रूप में अधिसूचित की गयी;

---

[42] या राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 126 के तहत घोषित।

बी) उदाहरण जहां सम्पूर्ण संरचना के केवल एक हिस्से को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में अधिसूचित किया गया जबकि संरचना के अन्य हिस्से को असंरक्षित छोड़ दिया गया।

सी) मामले जहां *कोस-मीनारों* को राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा भी संरक्षित किया गया था।

इन मामलों को **अनुलग्नक 6.1** में दर्शाया गया है। मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि वह पीएसी द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार दिशा-निर्देशों पर काम कर रहा था।

6.3.2 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को चिन्हित करने के लिए सर्वेक्षण

पीएसी ने बताया था कि केन्द्रीय रूप से संरक्षित श्रेणी में उनको रखते हेतु राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को चिन्हित करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण बकाया था। मंत्रालय अपने एटीएन (अप्रैल 2016) में भी सहमत हुआ कि राष्ट्रीय महत्व के होने के कारण घोषित सभी प्राचीन स्मारकों/स्थलों की समीक्षा एवं सर्वेक्षण करने की शीघ्र आवश्यकता थी तथा यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या वे अभी भी राष्ट्रीय महत्व के हैं। पीएसी ने सिफारिश की कि दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने के बाद (जैसा कि पिछले पैरा में वर्णित है), राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों जिन्हें संरक्षित किया जा सकता है, की सही संख्या को चिन्हित करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

2013 से 2021 की अवधि के दौरान (अर्थात पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा एवं चालू अनुवर्ती लेखापरीक्षा के बीच), राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों जिन्हें संरक्षित किया जा सकता है, को चिन्हित करने के लिए कोई भी विस्तृत सर्वेक्षण/समीक्षा एएसआई[43] द्वारा नहीं किया गया। इस संबंध में, चण्डीगढ़ सर्किल ने भी सूचित किया कि एएसआई मुख्यालय[44] से कोई भी ऐसा दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुआ। इसके

---

[43] पीएसी को मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए जाने के अनुसार, एएसआई द्वारा पूर्व सर्वेक्षण 1998-99 में किया गया था।

[44] तथापि, चण्डीगढ़ सर्किल ने बड़ा तलाव एवं सोलह राही तलाव, रेवाड़ी (जून 2015), पुरातत्व टीला, मिताथाई, भिवानी (सितम्बर 2020) तथा राखीगढ़ी, हिसार में 6 एवं 7 पुरातत्व टीले (नवम्बर 2020) के तीन सर्वेक्षण किए गए। किसी भी स्मारक को सीपीएम की सूची में शामिल नहीं किया गया था।

अतिरिक्त, एएसआई द्वारा इन स्मारकों को चिन्हित करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया जिनका इस अवधि में इनका महत्व समाप्त हो गया और इन्हें राज्यों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। चयनित राज्यों में पायलेट परियोजना के रुप में यहां तक कि अधिक छोटे पैमाने पर भी पहल नहीं की गयी (दिसंबर 2021)।

एसएसआई ने सूचित किया (जनवरी 2022) कि प्राचीन अवशेषों, स्थल, या संरचना को चिन्हित करने एवं प्रलेखन के लिए सर्वेक्षण या अन्वेषण करना एक निरंतर चल रही घटना है। जैसा कि पीएसी की राय प्रासंगिक नहीं थे तथा उन्हें कार्यान्वित करना भी सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के परामर्श से स्मारक जिन्होंने अपना महत्व खो दिया था, को प्राप्त करने के लिए यह तौर-तरीकों पर काम कर रहा था।

मंत्रालय/एएसआई का उत्तर (जनवरी 2022) पीएसी की सिफारिशों के प्रति उनकी पहले की प्रतिक्रिया के विरुद्ध था।

तोमर राजवंश-राजा अनंगपाल II, दिल्ली के संस्थापक, के संरचनात्मक अवशेष

ग्यारहवीं शताब्दी ए.डी. में, तोमर राजवंश के शासकों ने अपनी शाही गद्दी को अनंगपुर (फरीदाबाद, हरियाणा) से *लाल कोट* (दिल्ली) में स्थानांतरित किया तथा योगिनीपुरा (कुतुब पुरातत्व क्षेत्र के पास) की तत्कालीन मंदिर बस्ती के आस-पास में *ढ़िल या ढ़िलिकापुरी* नामक एक नए शहर की स्थापना की। पृथ्वी की कील की पुनः स्थापना के साथ संवत1109/1051 सीई में मथुरा से मेहरौली (*किल्ली-ढिल्ल-* संवत नामक लोहे का खम्भा लाया गया) राजा अनंगपाल-II[45] को दिल्ली का संस्थापक माना गया।

राजा अनंगपाल II द्वारा बनायी गयी *लाल कोट* की दीवारों को अवशेष संरक्षित स्मारक के रुप में एएसआई द्वारा अधिसूचित किया गया है। *अनंग ताल* कुतुब पुरतत्व क्षेत्र में दूसरी संरचना (जलाशय) है जिसे राजा अनंगपाल-II द्वारा निर्माण किया जाना माना गया। एएसआई ने *अनंग ताल* पर उत्खनन शुरु किया (1991-95) लेकिन संरचना एएसआई या दिल्ली राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित नहीं किया गया।

[45] अनंग पाल, के रुप में भी वर्णित, अनंगपाला

अनंग ताल के एक दौरे से प्रकट हुआ कि निकटतम क्षेत्रों से सीवेज जलाशय में छोड़ा जा रहा था तथा स्मारक के अवशेष उपेक्षित स्थिति में थे जैसा कि निम्नवत तस्वीरों में चित्रित किया गया हैः

पीएसी ने सिफारिश की कि एएसआई/मंत्रालय जारी किए जा रहे दिशा-निर्देशों को स्वीकृत करें जहां प्राचीन स्मारक (भविष्यवाणी करना लगभग 1700 एडी) एवं समकालीन स्मारक जो 100 वर्ष पुराने एवं राष्ट्रीय महत्व के हैं अपने-आप संरक्षित खड़ें है)। तथापि, राष्ट्रीय महत्व के रूप में 100 वर्ष पुराने घोषित करने के लिए कोई भी ऐसे दिशा-निर्देश अस्तित्व में नहीं पाए गए। परिणामस्वरुप, *अनंग ताल* एक विरासत संरचना जिसे किसी भी अभिकरण द्वारा संरक्षित न किया गया, लुप्त होने के अंतिम चरण में थी। मंत्रालय/एएसआई ने सूचित किया (जनवरी 2022) कि संरचना के संरक्षण हेतु प्रस्ताव विचाराधीन था।

एतिहासिक स्रोतः फरवरी 2022 में एनएमए, संस्कृति मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय संगोष्ठी दस्तावेज

6.3.3 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को चिन्हित करने की प्रक्रिया

राष्ट्रीय महत्व के होने के कारण विशिष्ट स्मारक को अधिसूचित करने हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया में सर्किल कार्यालय से प्रस्ताव की प्राप्ति, एएसआई मुख्यालय में एक समिति द्वारा इसकी संवीक्षा तथा उसके बाद सरकारी राजपत्र में प्रासंगिक प्रारंभिक अधिसूचना को जारी करने हेतु मंत्रालय के अनुमोदन को शामिल किया। सम्बन्धित सर्किल से प्राप्त विशेष अनुरोधों/इनपुटों के आधार पर एएसआई ने 2013-2021 की अवधि के दौरान 3,678 से 3,693 तक सीपीएम की सूची को संशोधित किया।

तथापि, एएसआई ने सीपीएम की सूची की समीक्षा करने/संशोधित करने हेतु कोई भी परिभाषित प्रक्रिया/अनुसूची नहीं थी। लेखापरीक्षा ने पायाः

- एक नए स्मारक की अधिसूचना (2018 में) तथा दो स्मारकों[46] (1931 एवं 1999 में) की अधिसूचना वापस लेने के संबंध में, सीपीएम की सूची का अद्‌यतनीकरण काफी देरी से अक्टूबर 2020 में किया गया।
- दिल्ली सर्किल में, गजीउद्‌दीन खान की गुम्बद, अजमेरी गेट (1925 में अधिसूचित) सीपीएम को सूची में शामिल नहीं किया गया (अक्टूबर 2020 तक) था। यह पाया गया कि गिसाउद्‌दीन खान, तुगलकाबाद की अन्य स्मारक गुम्बद को दो बार सूची में शामिल किया गया तथा अक्टूबर 2020 में गजीउद्‌दीन खान को सूची में शामिल करके तथा गिसाउद्‌दीन खान को हटाकर सुधार किया गया। मंत्रालय/एएसआई ने स्वीकार किया (जनवरी 2022) कि यह स्मारकों की सूची में टंकण त्रुटि के सुधार के कारण था।
- भोपाल सर्किल ने कुन्डलपुर, दामोह, मध्यप्रदेश की पहाडियों पर स्थित स्मारक जैन मंदिरों की अधिसूचना वापस लेने हेतु एएसआई मुख्यालय के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया (जुलाई 2014)। यघपि प्रस्ताव स्मारक को राज्य सरंक्षित स्मारक के रूप में घोषित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (2014) के अनुसार था फिर भी मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि एएमएएसआर अधिनियम, 1958[47] की धारा 3 को ध्यान में रखते हुए स्मारक की अधिसूचना वापस लेने की आवश्यकता नहीं थी। अत: इन स्मारकों का 3693 को सीपीएम की सूची में शामिल रहना जारी रहा।
- राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में उत्खनन स्थल, बेनागुट्‌टी को शामिल करने के संबंध में धारवाड़ सर्किल द्‌वारा भेजा गया प्रस्ताव (जून 2001) एएसआई मुख्यालय में अभी भी लंबित था। इस संबंध में, अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सर्किल कार्यालय द्‌वारा कोई भी अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गयी।
- सितम्बर 2007 तथा नवम्बर 2013 में मुम्बई सर्किल द्‌वारा प्रस्तावित स्मारकों की अधीसूचना एएसआई द्‌वारा अभी तक वापस नहीं ली गयी।

---

[46] सिरी किले (1931) की आन्तरिक इमारत पर तीन संरचनाएं तथा दिलू सर्किल दोनों मे पुरालेख के साथ घेराबंदी बैटरी का स्थल।

[47] सभी स्मारकों, स्थलों एवं अवशेषों जिन्हे एएचएमएएसआर अधिनियम 1951 द्‌वारा राष्ट्रीय महत्व के होने के लिए घोषित किया गया है, को राष्ट्रीय महत्व का होना माना जाएगा तथा पुनः अधिसूचित/गैर-अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

6.3.4 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में विसंगतियां

पिछले प्रतिवेदन में, निम्नवत कारणों के कारण सीपीएम की सूची में विसंगतियों को इंगित किया गया:

ए) एक ही स्मारकों को दोबारा अधिसूचित किया गया;

बी) बिना कोई अधिसूचना के स्मारकों को संरक्षित घोषित किया गया;

सी) स्मारकों को केन्द्र एवं राज्य दोनों द्वारा संरक्षित किया गया; तथा

डी) पुरावशेष को स्मारक के रूप में घोषित किए गए

इन सूचित विसंगतियों के सुधार हेतु मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद, सीपीएम की सूची में त्रुटियां अभी भी थीं जैसा कि **अनुलग्नक 6.2** में विवरण दिया गया है। मंत्रालय/एएसआई ने उत्तर दिया (जनवरी 2022) कि पीएसी की अभ्युक्ति को नोट किया गया तथा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मुद्दों का समाधान करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

6.3.5 गुम स्मारकों की गैर-अधिसूचना

पिछले प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा ने 92 सीपीएम के गुम होने की सूचना दी। मंत्रालय/एएसआई ने सूचित किया (अगस्त 2017/मार्च 2021) कि 92 गुम हुए स्मारकों में से 42 का पता लगाया गया, 14 तीव्र शहरीकरण के कारण प्रभावित हुए, 12 जलाशय/बांध के नीचे डूब गए तथा 24 लापता थे।

संयुक्त भौतिक जांच के दौरान यह पाया किया गया कि भौतिक रूप से उपस्थित/पता लगाए गए एएसआई द्वारा चिन्हित दिल्ली सर्किल[48] में दो स्मारक तथा शहरीकरण/जलमग्न से प्रभावित होने के कारण सूचित चार स्मारक, बेंगलुरू (3) एवं जबलपुर (1) सर्किल[49] में मौजूद नहीं थें। इसी प्रकार से, जुलाई 2017 में

[48] निकोल्सन मूर्ति (मौजूदा सूचित), कैप्टन मैक बारनेट एवं अन्य (प्रभावित हुए सूचित) की मकबरा। पिछले प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया कि निकोल्सन मूर्ति भारत सरकार द्वारा आयरलैंण्ड सरकार को उपहार में दी गयी (1960 में) थी।

[49] कितूर, हेज्जाल एवं चिक्काजाल (बेंगलुरू में सभी), फ्रेस्को चित्रकला, रीवा (जबलपुर) में पूर्व ऐतिहासिक स्थल।

अधिसूचना वापस लेने हेतु प्रस्ताव के बावजूद कोलकाता सर्किल में बांध के निर्माण के दौरान कथित तौर पर जलमग्न हुए छः स्मारकों को सीपीएम की सूची में शामिल किया जाना जारी रहा। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि एएसआई द्वारा स्वीकृत 24 स्मारक जो मिल नहीं रहे थे, उनकी अधिसूचना वापस नहीं ली गयी तथा उन्हें सीपीएम की सूची में शामिल किया जाना जारी रहा। स्मारकों का विवरण जिनको उनकी गैर-मौजूदगी के कारण अधिसूचना वापस लिए जाने की आवश्यकता थी, को **अनुलग्नक 6.3** में दिया गया है। मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि नहीं मिलने वाले स्मारकों की अधिसूचना वापस लेने हेतु तौर-तरीकों पर काम कर रहे थे। आगे यह बताया गया कि प्रक्रिया में सख्त जांच की आवश्यकता है तथा इसमें अधिक समय लगा सकता है।

जलमग्न स्मारकों से गुम हुए पुरावशेष

जलमग्न घोषित हुए छः स्मारकों में से तीन स्मारकों से संबधित मूर्तियां कोलकाता सर्किल द्वारा न पता लगाए जाने योग्य के रूप में सूचित की गयी। तथापि, संयुक्त भौतिक जांच के दौरान सर्किल कार्यालय की सूची में उपलब्ध चित्रों के सामान ही तीन मूर्तियां बांध के पास उपेक्षित एवं असंरक्षित पायी गयीं। सर्किल कार्यालय उन्हीं कलाकृतियों को स्मारकों (बाद में जलमग्न) के साथ अधिसूचित किए जाने के रूप में इन उपेक्षित मूर्तियों की पुष्टि करने में अयोग्य था। कार्रवाई डेटाबेस की तैयारी के महत्व को उजागर करती है क्योंकि सर्किल कार्यालय/एएसआई अपने विरासत संग्रह के प्रति अनभिज्ञ थे।

राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की पहचान एवं उनके अनुपालन हेतु एक प्रभावी निर्धारित प्रक्रिया, बेहतर योजना एवं विरासत संरक्षण हेतु उपलब्ध संसाधनों का विवेकी से प्रयोग करना आवश्यक है। तथापि, स्मारकों की सूची में विसंगतियों को सुधारने के लिए मंत्रालय/एएसआई की तरफ से अपर्याप्त प्रयास राष्ट्रीय विरासत की प्रबंधन हेतु विस्तृत कार्यनीति के अभाव को इंगित करते हैं।

6.3.6 स्मारकों की त्वरित अधिसूचना

पिछले प्रतिवेदन में, लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि एएसआई ने अतिक्रमण/अप्राधिकृत/ अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों को हल किए बिना कोलकाता

सर्किल में स्मारकों[50] को अधिसूचित किया। इस संबंध में मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि ऐसी कार्रवाईयाँ, कब्जाधारियों एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन पर की गयी थी। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि एक स्मारक (तमलुक, राजबती) पर अवैध कब्जाधारियों के संबंध में अभियोग एएसआई के पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया (2014)। तथापि दोनों स्मारकों पर अभी भी अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा में रखा गया था। अवैध कब्जाधारियों एवं त्वरित अधिसूचनाओं के कारण, एएसआई इन स्मारकों पर किसी भी परिरक्षण एवं संरक्षण गतिविधियों को पूरा करने में सक्षम नहीं था, परिणामतः इनकी जीर्ण-शीर्ण स्थिति (अनुलग्नक 7.2 पैरा 4.2 पर चित्रों का संदर्भ लें)[51] हुई।

6.4 पुरावशेष

➢ एएटी अधिनियम सरकार को अनिवार्य रूप से पुरावशेषों का अधिग्रहण करने के लिए सशक्त करता है। अनिवार्य अधिग्रहण के अलावा, एएसआई अन्वेषण, उत्खनन, सर्वेक्षण, खरीद, उपहारों आदि के माध्यम से पुरावशेषों का संग्रह करता है। एएसआई भारत में पुरावशेषों के सर्वोत्तम खजानों में से एक है। तथापि, जैसा कि पैरा 3.1 में वर्णित है, पुरावशेषों के प्रबंधन हेतु दस्तावेज को तैयार करने के लिए कोई भी विस्तृत नीति नहीं बनायी गयी तथा एएटी अधिनियम की समीक्षा हेतु किए जाने वाले कार्य अभी भी प्रक्रिया में थे। एक प्रेस विज्ञप्ति में (जुलाई 2021), मंत्रालय ने सूचित किया कि दस सरकारी संग्रहालयों एवं गैलरियों (राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय, स्थल-संग्रहालय एवं आधुनिक कला गैलरियों सहित) के 2.8 लाख कलाकृतियों के संग्रह का अंकीयकरण जतन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम (*पैरा 1.3 का संदर्भ लें*) के तहत पूरा किया गया है।

➢ जैसा कि पिछले प्रतिवेदन में वर्णित है, एएसआई के पास पुरावशेषों के हस्तांतरण/स्थानांतरण/अधिग्रहण/अभिरक्षा हेतु कोई भी नीति/मानक नहीं था। यह

---

[50] (i) तमलूक, राजबती (ii) क्लाइव हाउस, डूम डूम तथा (iii) मोती झील मस्जिद

[51] एएसआई ने अपने तमलूक स्थल-संग्रहालय को किराए की इमारत से स्मारक में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। तथापि, इसके अवैध कब्जों एवं पुनर्स्थापिन प्रक्रिया के अभाव के कारण, स्थल संग्रहालय के निर्माण हेतु ₹76.77 लाख की दूसरी भूमि खरीदना था (2019)।

सूचित किया (दिसम्बर 2020) कि पुरावशेषों के हस्तांतरण के समय न तो संबंधित फर्म के साथ अनुबंध और न ही बीमा किया जा रहा है।

➢ *पीएसी ने मंत्रालय से पुरावशेषों को ठीक करने या खरीदने के लिए आवश्यक कदम उठाने एवं अन्वेषण करने की सिफारिश की जो हमारे देश के लिए सांस्कृतिक महत्व के हैं लेकिन उन्हें विदेशी खरीददारों को बेच दिया गया तथा भारतीय मूल की कलाकृतियों/पुरावशेषों एवं/ या सांस्कृतिक संपत्ति को वापस भी लाना है जो देश से बाहर ले जायी गयी थी।* मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि पुरावशेषों की पुर्नप्राप्ति इसके केन्द्रित क्षेत्रों में से एक है। पुर्नप्राप्ति हेतु प्रक्रिया में 2014 से तेजी आयी तथा 199 पुरावशेषों की आज तक पुर्नप्राप्ति हो चुकी है जबकि 1976 एवं 2013 के बीच की अवधि के दौरान केवल 13 पुरावशेषों की पुर्नप्राप्ति हुई।

निष्कर्ष:

- *2014 के बाद मंत्रालय/एएसआई ने भारतीय मूल की कलाकृतियों को पुन: प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सुधार किए जो भारत के बाहर ले जायी गयी थीं। तथापि, स्मारकों एवं पुरावशेषों के केन्द्रीकृत एवं अंकीकृत डेटाबेस को तैयार करने से संबंधित कार्य राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावशेष मिशन की स्थापना के 14 वर्षों के बाद भी पीछे था।*
- *पिछले प्रतिवेदन में इंगित करते हुए तथा पीएसी की सिफारिशों के बावजूद, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों से संबंधित मुद्दों अर्थात् उनके चयन हेतु मानदंड एवं प्रक्रिया, सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु सभी संरक्षित स्मारकों की सूची तैयार करना, स्मारकों का वर्गीकरण, स्मारकों की सूची में विसंगतियों को सुधारना, उनकी अधिसूचना एवं अधिसूचना वापस लेना आदि का समाधान नहीं किया गया।*